"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. रो. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 मई 2009—ज्येष्ठ 2, शक 1931

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2008/वा. कर (आब.)/पांच (30).—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) में अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं.

नियम

1. **संक्षिप्त नाम**— इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2009 है.

2. **विस्तार** — ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थित समस्त सिनेमाघरों को लागू होंगे.

3. **सुधार/आधुनिकीकरण के क्षेत्र**— सिनेमाघरों में सुधार एवं आधुनिकीकरण निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुज्ञात किया जाएगा :—

(एक) प्रोजेक्टर, स्पीकर, एम्प्लीफायर, रेक्टीफायर, ध्वनि तथा प्रतिछाया (स्क्रीन) प्रोजेक्शन से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिक उपकरणों का संस्थापन.

(दो) प्रोजेक्शन केबिन में पर्याप्त परिवर्तन/सुधार तथा उसे नवीनतम साधित्रों/गैजेट्स से सुसज्जित करना.

(तीन) वातानुकुलन या एयर कूलिंग के लिए व्यवस्था.

(चार) मरम्मत, नवीकरण, परिवर्धन तथा अन्य कोई ऐसा निर्माण कार्य तथा रिप्लेसमेंट, जो नियम 4 के अधीन गठित समिति द्वारा उचित समझा जाए, जिससे गुणात्मक सुधार हो सके तथा दर्शकों को अधिक सुविधापूर्वक चलचित्र (मूवी) देखने में सहायता मिल सके.

4. **सुधार/आधुनिकीकरण के लिए समिति—** निम्नलिखित समिति, प्रत्येक जिले में सिनेमाघरों के सुधार/आधुनिकीकरण तथा मनोरंजन शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान करने के बारे में प्रस्तावों पर विचार करेगी :—

(1)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य विभाग (वर्क्स डिमार्टमेंट) की सिविल, इलेक्ट्रीकल या मेकेनिकल शाखा का यंत्री जो कार्यपालन यंत्री से निम्न श्रेणी का न हो.	-	सदस्य
(3)	सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी	-	सदस्य-सचिव

5. **सुधार/आधुनिकीकरण के लिए आवेदन तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया—**

(1) सिनेमाघर का स्वामी, उसके सिनेमाघर में सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए स्कीम तथा प्राक्कलन प्रारूप-एक में तैयार करेगा तथा उसे जिले के संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. स्कीम में प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलित व्यय तथा कार्य के पूर्ण करने की समय-सीमा का विस्तृत वर्णन अंतर्विष्ट होगा.

(2) ऐसी स्कीम पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपये से कम व्यय अन्तर्वलित हो.

(3) सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन की प्रारंभिक छानबीन करने के पश्चात् उसे समिति के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत करेगा.

(4) समिति, आवेदन का परीक्षण करेगी. प्रस्तावित स्कीम की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए तथा प्राक्कलनों का सत्यापन करने के लिए समिति, किसी सदस्य को स्थल के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत कर सकेगी. समिति अपनी रिपोर्ट प्रारूप-दो में तैयार करेगी. यदि उपयुक्त तथा पात्र पाया जाता है, तो कलेक्टर आवेदक को कार्य करने की अनुज्ञा देगा.

(5) सिनेमाघर का स्वामी कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य पूर्ण होने संबंधी रिपोर्ट संबंधित सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(6) कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि तथा समिति के अन्य सदस्य स्थल पर किये गये कार्य का निरीक्षण करेंगे. ऐसे निरीक्षण के पश्चात् समिति उस रकम को अवधारित करेगी, जो सिनेमाघर के स्वामी ने अनुमोदित स्कीम के अनुसार सुधार एवं आधुनिकीकरण पर वास्तविक रूप से व्यय की है. यह रकम छूट के लिये अवधारित रकम होगी. यह छूट तीन वर्ष पूर्व स्वतः समाप्त हो जायेगी, जब मनोरंजन शुल्क की मात्रा इस राशि के बराबर हो जाये. समिति वास्तविक व्यय को सत्यापित करने के लिए किसी प्राधिकृत एजेंसी को जांच करने हेतु कह सकती है.

नोट — "प्राधिकृत एजेंसी" से अभिप्रेत है ऐसी एजेंसी/व्यक्ति, जिसे समिति द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जाएगा.

(7) यदि वास्तविक व्यय 5 लाख रुपये से कम पाया जाता है तो कलेक्टर द्वारा सिनेमाघर के स्वामी का आवेदन नामंजूर किया जाएगा. यदि व्यय 5 लाख रुपये या उससे अधिक का पाया जाता है तो कलेक्टर द्वारा सिनेमाघर के स्वामी को मनोरंजन शुल्क की रकम के भुगतान से छूट देने का आदेश प्रारूप-तीन में जारी किया जाएगा. छूट देने का आदेश तीन वर्ष की कालावधि के लिये या ऐसे समय तक के लिए जब तक मनोरंजन शुल्क की देय संचयी रकम उप-नियम (6) के अनुसार समिति द्वारा अवधारित रकम के बराबर हो जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू होगा.

6. **मनोरंजन शुल्क से छूट के आदेश का प्रवर्तन—** मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट का आदेश, उसमें उल्लिखित तारीख से प्रभावशील होगा. जैसे ही मनोरंजन शुल्क की देय संचयी रकम, नियम 5 के उप-नियम (6) के अधीन समिति द्वारा यथा अवधारित रकम के बराबर हो जाएगी, छूट का आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा. अन्यथा 3 वर्ष की समाप्ति पर उक्त आदेश स्वतः प्रभावशील नहीं रहेगा.

7. **छूट की शर्तें—**

(1) सिनेमाघर का स्वामी नियम-5 के अधीन किये गये सुधार एवं आधुनिकीकरण के कार्य को छूट की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् न्यूनतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये संधारित करेगा. इस शर्त के उल्लंघन पर मनोरंजन शुल्क की छूट की समस्त रकम उस तारीख से, जब से मनोरंजन शुल्क देय है, उसकी वसूली की तारीख तक, राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से ब्याज सहित सिनेमाघर के स्वामी से वसूल की जाएगी.

(2) सिनेमाघर का स्वामी इन नियमों के अधीन मनोरंजन शुल्क से केवल एक बार छूट का हकदार होगा. इस छूट के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936, उसके अधीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंध और अन्य निबंधन तथा शर्तें उसी प्रकार लागू रहेंगी, जैसी लागू हैं.

8. **विवाद को दूर करना** —- इन नियमों के अधीन कोई भी विवाद उद्भूत होने की दशा में आबकारी आयुक्त ऐसी जांच का जैसी कि वह उचित समझे, आदेश दे सकेगा. विवादों को दूर करने के संबंध में आबकारी आयुक्त का आदेश अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

प्रारूप–एक
[नियम–5 (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2009 के अधीन मनोरंजन शुल्क से छूट के लिए आवेदन–पत्र

प्रति,

सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी
जिला ....

1. सिनेमाघर का नाम ....

2. सिनेमाघर के स्वामी का नाम एवं पता ....
....
....

यदि स्वामी एक फर्म/कम्पनी है तो फर्म/कम्पनी के भागीदारों/निदेशकों के नाम तथा पते और उनका रजिस्ट्रीकरण निगमन क्रमांक .... (रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).

3. उस स्थान का नाम, जहां सिनेमाघर स्थित है. ....

4. उस स्थान की जनसंख्या, जहां सिनेमाघर स्थित है. ....

5. सिनेमाघर प्रारंभ होने की तारीख तथा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) क्रमांक ....

6. विगत पांच वर्षों में भुगतान किए गए मनोरंजन शुल्क की वर्षवार राशि ....

अनुक्रमांक	वर्ष	मनोरंजन शुल्क की राशि
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
योग :—		

7. सुधार/आधुनिकीकरण के प्रस्तावित कार्यों का विवरण

अनुक्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	कार्य पूर्ण होने की कालावधि

8. प्रस्तावित सम्पूर्ण सुधार/आधुनिकीकरण कार्य के पूर्ण होने की संभावित तारीख ....

घोषणा

मैं, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैंने योजना के नियम/शर्तें पूरी तरह से पढ़ एवं समझ ली हैं. मैं वचन देता हूं कि मनोरंजन शुल्क से छूट की समाप्ति की तारीख के पश्चात् लगातार 3 वर्षों तक सुधार एवं आधुनिकीकरण के कार्य के साथ सिनेमाघर का अनुरक्षण करता रहूंगा. ऐसा नहीं किया जाने पर मांगपत्र की प्रतीक्षा किए बिना छूट की संपूर्ण राशि को राज्य शासन द्वारा नियत दर पर उस राशि पर ब्याज सहित वापस भुगतान करूंगा. मेरे द्वारा देय यह रकम मुझसे तथा मेरी फर्म/कंपनी के भागीदारों/निदेशकों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा.

(हस्ताक्षर) ....
सिनेमाघर का स्वामी ....
सिनेमाघर का नाम ....

अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2009 के अधीन श्री .... से सिनेमाघर .... स्थान .... के लिए मनोरंजन शुल्क से छूट हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ.

सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी
जिला ....

प्रारूप–दो

[नियम-5 (4) देखिए]

छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2009 के अधीन मनोरंजन शुल्क से छूट के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन

1. सिनेमाघर का नाम ....

2. सिनेमाघर के स्वामी का नाम एवं पता ....

उक्त सिनेमाघर के स्वामी द्वारा मनोरंजन शुल्क से छूट हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्र तारीख .... के संदर्भ में समिति ने सिनेमाघर के स्थल का निरीक्षण किया है. सिनेमाघर के स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन (एस्टीमेट) पर पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया. यह सिनेमाघर पिछले .... वर्षों से लगातार चालू है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान सिनेमाघर से प्राप्त मनोरंजन शुल्क की राशि निम्नानुसार है :—

अनुक्रमांक	वर्ष	मनोरंजन शुल्क की राशि
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
योग :—		

3. * प्रस्तावित योजना के अनुसार सिनेमाघर के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए मनोरंजन शुल्क से छूट की अनुशंसा की जाती है.

या

* सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्राक्कलित व्यय रुपये 5 लाख से कम पाए जाने से/मानकों की पूर्ति न करने से छूट हेतु आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा... प्रस्तावित है.

कलेक्टर	कार्यपालन यंत्री	(सदस्य)
....	.... विभाग	सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी
	....	....

* जो लागू न हो, उसे काट दीजिए.

प्रारूप--तीन

[नियम-5 (7) देखिए]

छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2009 के अधीन कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा

सिनेमाघर का नाम ....

स्थान ....

निरीक्षण का दिनांक ....

उक्त सिनेमाघर का निरीक्षण मेरे द्वारा/मेरे प्रतिनिधि श्री .... द्वारा तथा सुधार एवं आधुनिकी के लिए गठित समिति के सदस्य द्वारा दिनांक .... पर की गई. सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए गठित समि अनुशंसा पर तीन वर्ष की कालावधि के लिए या ऐसे समय तक के लिए, जब तक मनोरंजन शुल्क की देय संचयी रकम, समिति द्वारा नि के उप-नियम (6) के अनुसार अवधारित रकम के बराबर न हो जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, मनोरंजन शुल्क की राशि से छूट मंजूर व र्ता हैं. इसके पश्चात् छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी.

उक्त छूट इस शर्त पर दी जाती है कि सिनेमाघर में किए गए सुधार एवं आधुनिकीकरण के साथ छूट समाप्त होने के पश्चात् आगामी तीन वर्ष चालू रखा जाना चाहिए. चूक होने पर करार की शर्तों के अनुसार दी गई छूट की राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी.

तारीख ....

कलेक्टर ....

जिला ....

प्रारूप-चार
[नियम-5 (7) देखिए]

यह करार आज तारीख .... माह .... सन् ....को प्रथम पक्ष राज्यपाल, छत्तीसगढ़ जिनकी ओर से कलेक्टर कार्य कर रहे हैं (जो इसमें पश्चात् राज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट है एवं उसमें उनके कार्यपालक अधिकारी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष में मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्तकर्ता श्री .... (सिनेमाघर का स्वामी) .... (सिनेमाघर का नाम) .... (सिनेमाघर का स्थान) .... जिला .... अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... जो छत्तीसगढ़ सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ सिनेमा रेग्युलेशन रूल्स, 1960 के अधीन अनुज्ञप्त है (जो इसमें इनके पश्चात् सिनेमाघर का स्वामी निर्दिष्ट किया गया है तथा उसमें मैनेजर तथा उसके उत्तराधिकारी, जो भी आवश्यकता के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अधिकृत हों, सम्मिलित हैं) के मध्य किया गया हैं.

चूंकि सिनेमाघर के स्वामी के आवेदन पर, तीन वर्षों के लिए या उस कालावधि के लिये जब तक मनोरंजन शुल्क रुपये .... (शब्दों में रुपये ....) उसके द्वारा कुल निवेश के सीमा के बराबर हो जाए, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिये प्रोत्साहन योजना नियम 2009 (जो इसमें इनके पश्चात् नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अधीन छूट कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जाएगा.

अतएव अब यह करार इस बात की साक्षी है कि यह करार किया गया है और सिनेमाघर का स्वामी सहमत है कि वह—

1. छूट की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष के लिए किए गए सुधार एवं आधुनिकीकरण के साथ प्रदर्शन चालू रखेगा.
2. उक्त तीन वर्ष की कालावधि में वह उस सिनेमाघर तथा उस भूमि का जिस पर सिनेमाघर निर्मित है, विक्रय या दान नहीं करेगा. यदि ऐसा करना किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक हो तो हस्तान्तरिती द्वारा भी सिनेमाघर के स्वामी की भांति योजना संबंधी समस्त नियमों का पालन किया जाना बाध्यकारी होगा.
3. छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों और उसमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के उपबंधों एवं ऊपर वर्णित समस्त शर्तों का पालन करेगा.
4. शर्तों का उल्लंघन होने पर अर्थात् विहित कालावधि तक सिनेमाघर को चालू हालत में न रखा जाना, सुधार एवं आधुनिकीकरण की सेवा नियमित न रख पाना (जिस प्रयोजन के लिए छूट मंजूर की गई है) अथवा सिनेमाघर का उपयोग बदले जाने पर मनोरंजन शुल्क से छूट की रकम, राज्य शासन द्वारा उस पर विहित किए गए अनुसार दर पर ब्याज सहित भुगतान करेगा, यह रकम सिनेमाघर के स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी. ऐसी रकम सिनेमाघर के उक्त स्वामी/स्वामियों की संपत्तियों, जिसमें सिनेमाघर भी सम्मिलित है, पर प्रथम भार के रूप में वसूली योग्य होगी.

नियमों अथवा उपरोक्त वर्णित शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा.

साक्षी :—

हस्ताक्षर ....
सिनेमाघर का स्वामी
दिनांक ....

1. .... (हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता)
2. .... (हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता)

हस्ताक्षर ....
कलेक्टर, जिला ....
दिनांक ....

1. .... (हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता)
2. .... (हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता)

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक एफ 10-24/2008/वा. कर (आब.)/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2008/वा. कर (आब.)/पांच (30), दिनांक 23-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-24/2008/CT (Ex.) 5 (30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published, as required by sub-section (3) of Section 8 of the said Act, namely :—

RULE

1. **Short title** — These rules may be called "The Chhattisgarh ke Cinemagharon ke sudhar Evem Adhunikikaran ke Liye Protsahan Yojana" Rules, 2009.

2. **Extent**— These rules shall apply to all the Cinema House situated in the territory of Chhattisgarh having population more than on lakh.

3. **Areas of Improvement/modernization**— The improvement/modernization in the Cinema Houses shall allowed in the following areas :—

(i) Installation of modern techonological instruments related to projector, speaker, amplifire, rectified sound and screen projection;

(ii) Sufficient change/improvement in the projection cabin and to equip it with latest applicances/ gadgets ;

(iii) Arrangement for air-conditioning or air-cooling;

(iv) Repairing renovation, alteration and other such construction and replacement as may be deem proper by the committee constituted under Rule-4 that would affect qualitative improvement and the audience to watch movies with greater convenience.

4. **Commitee for improvement/modernization**— The following committee in each district shall consider the proposals regarding improvement/modernization of Cinema Houses and grant exemption from the payment of Entertainment Duty :—

(1)	Collector	-	Chairman
(2)	An Engineer not below the rank of Exective Engineer nominated by Collector from Civil, Electrical or Mechnical branch of works Department.	-	Member
(3)	Assistant Commissioner, Excise/District Excise Officer	-	Member Secretary

5. **Procedure for application and permission for improvement/modernization.—**

(1) The Cinema owner shall prepare a scheme and estimate for improvement/modernization of his cinema house in Form-One and submit the same to the concerned Assistant Excise Commissioner/ District Excise Officer of the District. The scheme shall contain detailed descriptions of the proposed work, estimated expenditure and the time limit for completion of work.

(2) Any scheme involving an expenditure of less than Rs. 5 lacs shall not be considered.

(3) On receipt of the application, the Assistant Commissioner Excise/District Excise Officer shall at preliminary scrutiny, submit it before the Committee, for consideration.

(4) The committee shall examine the application, to assess the necessity of the proposed scheme and to verify the estimate, the committee may authorize any member for spot inspection. The committee shall prepare its report in Form-Two. If it is found fit and eligible, the collector shall permit the applicant to undertake the work.

(5) After completion of the work, the Cinema House owner shall submit the completion report to the concerned Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer.

(6) The collector or his representative and other members of the committee shall inspect the work done on spot. After such inspection, the committee shall determine the amount actually spent by Cinema House owner on the improvement/modernization as per approved scheme. This amount would be the determined amount for exemption. The exemption shall cease outomatically before 3 years when the quantum of entertainment duty equals to this amount. The committee may ask an Authorized Agency to make investigation in order to verify the actual expenditure.

Note :— "Authorized Agency" means such Agency/person, which shall be appointed by the Committee for purposes of these rules.

(7) If the actual expenditure is found to be less than 5 lacs, the application of the cinema owner shall be rejected by the collector. If the expenditure is found Rs. 5 lacs or more, an order for exemption form the payment of amount of entertainment duty to the owner of the Cinema House shall be issued by the collector in Form-Three. This exemption order shall be applicable for a period of three years or till such time as the payable cumulative amount of entertainment duty equals the amount determined by the committee as per sub-rule (6) whichever is earlier.

6. **Enforcement of the order of the exemption from Entertainment Duty.—** The order of exemption from payment of entertainment duty shall be effective from the date mentioned therein. The order of exemption shall cease to have effect as soon as the payable cumulative amount of entertainment duty equals the amount as determined by the committee under sub-rule (6) of rule 5 otherwise the said order shall cease to be effective automatically at the end of 3 years.

7. **Conditions for exemption .—**

(1) The Cinema House owner shall maintain improvement/modernization done under rule 5 for a minimum period of three years after the expiry of exemption period. On breach of this condition the entire amount of exempted entertainment duty from the date when the entertainment duty is payable to its recovery date shall be recovered along with the interest at the rate fixed by the state Government from the Cinema House owner.

(2) A Cinema owner shall be entitled for exemption from the entertainment duty only once under these Rules. Except this exemption, all the provisions of the Chhattisgarh Intertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936, the rules framed there under and other terms and conditions shall continue to apply as it is.

8. **Redressal of the disputes.—** In the event of any dispute arising under these Rules, the Excise Commissioner, may order an inquiry as he deems fit. The order of the Excise Commissioner shall be final in respect of the redressal of the disputes.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

FORM-ONE
[See rule 5 (1)]

Application Form for the exemption from Entertainment Duty under the Chhattisgarh Ke Cinemagharon Ke Sudhar Evam Adhunikikaran Ke liye Protsahan Yojana Rules, 2009

To,

The Assistant Commissioner Excise/
District Excise Officer
District ....

1. Name of the Cinema House

2. Name and Address of the owner of the Cinema House

If the Owner is a Firm/Company then the names and addresses of the partners/directors and its registration/incorporation number. (Attach the certified copy of registration/incorporation certificate.)

3. Name of place where the Cinema House is situated

4. Population of the place where the Cinema House is situated

5. Date of starting Cinema House and License number

6. The yearwise amount of Entertainment Duty paid during last five years.

S. No.	Year	Amount of Entertainment
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
Total		

7. Statement of proposed works for improvement/modernisation.

S. No.	Statement of work	Approximate Expenditure	Period of completion of work

8. Approximate Date of completion of entire proposed improvement/modernisation work ....

DECLARATION

I Solemnly declare on oath that I have read and understood the Rules/conditions of the scheme thoroughly. I promise that after the date of expiry of exemption from Entertainment tax, I will upkeep the cinema house with the improvement/modernization for three years continuously. In the event of not doing so, I will pay back all the amount of exemption with the interest on it, at the rate fixed by the State Government without waiting for the demand notice. The amount due on me shall be recoverable from me and partners/directors of my firm/company as arrears of land revenue.

Date :
Place :

(Signature)
Name of Owner of the Cinema House
Name of the Cinema House

ACKNOWLEDGEMENT

Received the application for exemption from Entertainment Duty the Chhattisgarh Cinemagharon Ke Sudhar Evam Adhunikikaran Ke liye Protsahan Yojana Rules, 2009 from Shri .... Cinema house .... place ....

Date :

Assistant Commissioner Excise
District Excise Officer
....

FORM-TWO
[See rule 5 (4)]

Report of the committee constituted for Exemption of Entertainments Duty under the Chhattisgarh Ke Cinemagharon ke Sudhar/Adhunikikaran Ke liye Protsahan Yojana Rules, 2009

1. Name of the Cinema House ....

2. Name of the owner of Cinema House ....

The committee has inspected the place of cinema house in reference of the application dated .... submited by the owner of the said cinema house for exemption from entertainment duty. The estimate on submitted by the owner of the cinema house is thoroughly examined. This cinema house is running continuously from last .... years and the amount of entertainment duty received from the cinema house during last five years is as stated below —

S. No.	Year	Amount of Entertainment Duty
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
	Total	

3. * The improvement/modernization of the cinema house for exemption of Entertainments Duty as per proposed Scheme is recommended.

OR

* The application for exemption is proposed for rejection because the estimated expenditure for modernization/improvement is less than Rs. 5 lakh/it is not fulfilling the standerd norms.

Collector	Executive Engineer	(Member)
....	Department	Assistant Commissioner Excise/ District Excise Officer
	....	....

* Strike out which is not applicable.

FORM-THREE
[See rule 5 (7)]

Permission by the Collector under the Chhattisgarh Ke Cinemagharon ke Sudhar Evam Adhunikikaran Ke liye Protsahan Yojana Rules, 2009

Name of the Cinema House ....

place ....

Date of Inspection

....

The inspection of the said cinema house is done by me/my representative Shri .... and by the members of the Committee constituted for the improvement/modernization on .... (date). The exemption from the amount of entertainment duty is granted on the recommendation of the Committee Constituted for the improvement/modernization of the Cinema house for a period of three years or till such time as the payable cumulative amount of Entertainment Duty equals the amount determind by the committee as per sub-rule (6) of rule 5, which ever is earlier. After this the exemption shall cease by it self.

The said exemption is granted on the condition that after ceasing of the exemption, the Cinema house should be continued for further three years with the improvement/modernization done. On default the exempted, amount shall be recovered with interest in accordance with the conditions of the agreement.

Date :

Collector ....
District ....

FORM-FOUR
[See rule 5 (7)]

Agreement Deed

This Agreement is made on this date .... month...................... year.......................... between the Governor of Chhattisgarh acting through Collector (herein-after-referred to as the Governor and includes his executive officers) on the one part and receiver of exemption from the Entertainments Duty Shri .... (owner of the cinema house) .... (Name of the cinema house) .... (Place of cinema house) .... (District) .... number of licence .... date .... who is licensed under the Chhattisgarh Cinema Regulation Act, 1952 and the Chhattisgarh Cinema Regulation Rules, 1960 made there under (hereinafter referred to as the owner of Cinema House and includes his Manag and his successor, who is authorized for this purpose in accordance with the necessity) on the other part.

WHEREAS on the application of the owner of the cinema house the exemption is granted by the collector under the Chhattisgarh Ke Cinemagharon Ke Sudhar Evam Adhinikikaran Ke liye Protsahan Yojana Rules, 2008 (here- in after referred to as Rules) for three years or for a period when Entertainments Duty equals to the extant of total investments of Rs. .... (in words rupees .... made by him, whichever is earlier.

Now THEREFORE this agreement whitnesses as under and the owner of the cinema house agrees that he,—

1. Shall continue exhibition along with the improvement/modernization for at least three years after the period of exemption expires.

2. In the said period of three years shall not sell or gift the cinema house and the land on which the cinema house is constructed if it is necessary in any circumstances to do so it shall be binding on the transferee too to abide by all the Rules regarding scheme just like the owner of the cinema house.

3. Shall abide by the provisions of the Chhattisgarh Entertainment duty and Advertisements Tax Act, 1936 and Rules made thereunder and the amendments made therein from time to time and all the above mentiond conditions.

4. On the contravention of the conditions namely, not keeping cinema house in runing condition till the prescribed period, not keeping the inprovement/modernization regularly (for which purpose the sanction is granted for exemption) or on changing the use of cinnema house shall pay the amount of the exemption alongwith the interest thereon as fixed by the State Government. This amount shall be recoverable from the cinema owner as arrears of land revenue. Such amount shall be recoverable as the first charge from the properties which includes the cinema house also of the said owner/owners of the cinema house.

On any dispute regarding Rules or abovementioned conditions, the decision of the Excise Commissioner shall be final.

Witness :—

1. .... (Signature, Name and full Address)
2. .... (Signature, Name and full Address)

Signature
Owner of the Cinema House
Date ....

1. .... (Signature, Name and full Address)
2. .... (Signature, Name and full Address)

Collector, District
(On behalf of Governor)
Date ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.